[2018] 1 एस.सी.आर. 661

तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रतिनिधि सचिव एवं अन्य

बनाम

के. बालू और अन्य

(एमए नं 690-692/2017 और 369-371/2018) में (सिविल अपील नं. 12164-12166/2016)

फरवरी 23, 2018

दीपक मिश्रा, सी.जे.आई., अमितावा रॉय और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जेजे।

शराब-बिक्री-मिजोरम और असम राज्यों में-दिनांक 31.3.2017 के आदेश में, मेघालय और सिक्किम राज्य को निर्णय दिनांक 15.12.2016 के परिपेक्ष्य में पैरा 24 (v)(iii) में 500 मीटर की दूरी की आवश्यकता के आवेदन से छूट दी गई थी। यह छूट सिक्किम और मेघालय राज्यों की अजीबोगरीब स्थलाकृति के मद्देनजर दी गई थी-इसके बाद, अरुणाचल प्रदेश राज्य को भी यही छूट दी गई थी-प्रशंगत आवेदनों में, मिजोरम राज्य और असम राज्य ने समान छूट की मांग करते हुए कहा कि राज्य के पहाड़ी इलाके को उसी छूट के अनुदान की आवश्यकता है जैसा कि मेघालय और सिक्किम राज्य को दिया गया था-मिजोरम राज्य की अजीबोगरीब स्थलाकृति के मद्देनजर, छूट का लाभ पहले के आदेश दिनांक 31.3.2017 को मिजोरम राज्य तक बढ़ाया गया है-असम राज्य के संबंध में, राज्य को 'पहाड़ी क्षेत्रों' या जिलों को इंगित करने वाला एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें 'पहाड़ी/पहाड़ी क्षेत्र' कहा जा सकता है, ताकि उचित आदेश पारित किए जा सकें-हलफनामे के मद्देनजर, दिनांक 31.3.2017 के आदेश का लाभ असम राज्य के जिलों, कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ (उत्तर कछार हिल्स) तक बढ़ाया गया है।-एमएएस./आईआईएएस तदनुसार निपटाया गया।

तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू (2017) 6 एससीसी 715 - के दृष्टान्त्र को संदर्भित किया गया है।

सिविल अपीलीय शेत्राधिकार एम. ए. नं. 690-692/2017 और 369-371/2018 और सिविल अपील 12164-12166/2016

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.02.2013 और 28.03.2013 से रिट याचिका सं. 23773/2012, एम.पी. सं. 2013 की 9 और 10 में रिट याचिका नं. 23773/2012।

अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर सलाहकार।, रॉय अब्राहम, सुश्री सीमा जैन, सुश्री रीना रॉय, हिमिंदर लाल, पी. एन. गोस्वामी, सुश्री प्रणिता शेखर, पवन के. शर्मा, शशि रंजन, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, डॉ. मनीष सिंघवी, सत्येंद्र कुमार, शैलजा नंदा मिश्रा, इरशाद अहमद, आशुतोष दुबे, कृष्णेंदु सरकार, सुश्री राजश्री, अभिषेक चौहान, वीएस रावत, सुशील पांडे, सुश्री कुलजीत कौर,

प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, सुश्री आनंदिनी कुमारी, पीवी योगेश्वरन, आरबी फूकन, सुश्री नेहा टंडन, शैलेश मडियाल, एम. योगेश कन्न, यश

पाल ढींगरा, सुश्री नंदिनी सेन मुखर्जी, अजय मारवाह, इरशाद अहमद, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए।

एस. एस. शमशेरी, एएजी, सीएल पांडे, सीनियर सलाहकार।, सुश्री बीनू तमता, एस. एस. रावत, हेमंत आर्य, जी. एस. मक्कर, अमित शर्मा, संदीप सिंह, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रूचि कोहली, मनीष कौशिक, सुश्री अनन्य पांडे, दीपेश शर्मा, यश पाल ढींगरा, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर वी. एल., एस. थानंजयन, कालेश्वरम राज, सुविदत्त एम. एस., अजय मारवाह, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

1. मिजोरम और असम राज्यों ने वर्तमान एमए/आईए दायर किए हैं, जो तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू में इस न्यायालय के निर्णय से निकलते हैं। 31 मार्च 2017 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने मेघालय और सिक्किम राज्यों को 15 दिसंबर 2016 के निर्णय के पैरा 24 (v)(iii) में प्रदान की गई 500 मीटर की दूरी की आवश्यकता के आवेदन से छूट दी। यह छूट सिक्किम और मेघालय राज्यों की अजीबोगरीब स्थलाकृति को देखते हुए दी गई थी। आदेश का प्रासंगिक हिस्सा दिनांक 31 मार्च 2017 नीचे दिया गया हैः

"25. तीसरा क्षेत्र सिक्किम राज्यों के संबंध में है...और मेघालय जो इस न्यायालय को एक उपयुक्त के लिए स्थानांतरित कर दिया है की प्रकृति के संबंध में निर्णय का संशोधन पहाड़ी इलाका। सिक्किम राज्य के संबंध में, यह न्यायालय का मत रहा है कि राज्य सरकार की ओर से अवगत कराया गया कि लगभग 82 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है और 92 प्रतिशत इस न्यायालय के निर्देशों के परिणामस्वरूप दुकानों को बंद करना होगा। इसी तरह, मेघालय राज्य ने पहाड़ी इलाकों के परिणामस्वरूप राज्य में प्रचलित इस न्यायालय की अजीबोगरीब परिस्थितियों को रखा है। हमारा विचार है कि जहाँ तक मेघालय और सिक्किम राज्यों का संबंध है, यह पर्याप्त होगा यदि दोनों राज्यों को केवल इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15 दिसंबर 2016 के अनुच्छेद 24 (v)(iii) में प्रदान की गई 500 मीटर की दूरी की आवश्यकता के आवेदन से छूट दी जाए।

इसके बाद, 12 जुलाई 2017 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश राज्य को भी यही छूट दी थी।

2. मिजोरम राज्य ने प्रस्तुत किया है कि राज्य के पहाड़ी इलाके को उसी छूट के अनुदान की आवश्यकता है जैसा कि मेघालय और सिक्किम राज्यों को दिया गया था।

3. मिजोरम राज्य की अजीबोगरीब स्थलाकृति के मद्देनजर, 31 मार्च 2017 के पहले के आदेश द्वारा दी गई छूट का लाभ मिजोरम राज्य को दिया जाता है।

4. जैसा कि असम राज्य का संबंध है, इस न्यायालय ने 4 दिसंबर 2017 के एक आदेश द्वारा राज्य को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था जिसमें कहा गया था कि "पहाड़ी क्षेत्रों या जिलों को 'पहाड़ी/पहाड़ी क्षेत्र' कहा जा सकता है ताकि उचित आदेश पारित किए जा सकें।"।

5. आदेश के अनुसरण में, 9 फरवरी 2018 को आबकारी विभाग में असम सरकार के सचिव द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामे में निम्नलिखित कथन शामिल हैंः

“3. पूर्वोक्त आवेदन प्रस्तुत करने पर माननीय कोर्ट ने आदेश दिनांक 4.12.2017 को असम राज्य को निर्देशित किया कि पहाड़ी क्षेत्रों या जिलों को इंगित करने वाला एक हलफनामा दायर करें जो कर सकते हैं 'पहाड़ी/पहाड़ी' क्षेत्र कहा जाता है ताकि उचित आदेश पारित किए जा सकें।

4. कि पूर्वोक्त निर्देशों के अनुपालन में, तत्काल हलफनामा निम्नलिखित तथ्यों को इंगित करते हुए दायर किया गया हैः

ए. कि असम राज्य के 33 जिलों में से, 'कार्बी आंगलोंग, "पश्चिम कार्बी आंगलोंग" और 'दीमा हसाओ "(उत्तर कछार) हिल्स) मेघालय की पहाड़ियों के साथ पहाड़ी जिले हैं और नागालैंड, जो राज्य के भू-भाग का 20% हिस्सा है"

हलफनामे पर उपरोक्त प्रकटीकरण के मद्देनजर हम 31 मार्च 2017 के आदेश का लाभ असम राज्य के उपरोक्त जिलों कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ (उत्तर कछार हिल्स) को देते हैं। राज्य सरकार तदनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगी।”

6. एमए/आईए तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra